सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।

मुख्य बिंदु

- **हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण** संगठन सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का निर्माता है।
- सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के चार स्तंभ हैं: वायु, मृदा, वृक्ष एवं जल।
  - सूत्र:- **GEP सूचकांक = (वायु-GEP सूचकांक + जल-GEP सूचकांक + मृदा-GEP सूचकांक + वन-GEP सूचकांक**
- **महत्व:**
  - यह **हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों** पर **मानवशास्त्रीय दबाव** के प्रभाव का आकलन करने में सहायता करता है।
  - यह मानवीय क्रियाओं के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय कल्याण के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए, किसी राज्य के पारिस्थितिक विकास का आकलन करने के लिये एक सुदृढ़ और **एकीकृत विधि** प्रदान करता है।
- **अनुशंसाएँ:**
  - गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिये; विनियमित और बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - विनियमित गतिविधियों को केवल वहन क्षमता और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के अनुसार ही अनुमति दी जानी चाहिये।

हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन

- यह वर्ष 1979 में गठित एक गैर-सरकारी संगठन है।
- इसके उद्देश्य हैं:
  - हिमालयी समुदाय के लिये संसाधन आधारित पारिस्थितिकी एवं आर्थिक विकास।
  - सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता के लिये सामुदायिक संगठन का निर्माण और सशक्तीकरण

//

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी और समाधान करने के लिये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग के शुरुआती चरणों में किया गया एक अध्ययन है।

- **वैधानिक स्थिति:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (EIA को अनिवार्य बना दिया गया)
- **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
- **परियोजना वर्गीकरण:** वर्ष 2006 की EIA अधिसूचना में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वर्गीकृत किया गया है:
- **A-श्रेणी प्रोजेक्ट:** MoEF&CC से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की आवश्यकता
- **B-श्रेणी प्रोजेक्ट:** राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार से पूर्व EC की आवश्यकता।
  - **B1-श्रेणी प्रोजेक्ट** (EIA की आवश्यकता अनिवार्य है)
  - **B2-श्रेणी प्रोजेक्ट** (EIA की आवश्यकता नहीं है)

प्रोजेक्ट्स की 39 श्रेणियाँ हैं, जिनके लिये पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और ये EIA के अधीन हैं।

EIA अधिसूचना, 2006 के अनुसार EIA प्रक्रिया

चरण	उद्देश्य	द्वारा किया गया
स्क्रीनिंग	EIA की आवश्यकता	राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) (श्रेणी-B)
स्कोपिंग	EIA के लिये महत्त्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करता है	EAC के साथ MoEF&CC द्वारा मानक संदर्भ अवधि (ToR) तैयार की गई/श्रेणी-B प्रोजेक्ट्स के लिये SEAC
सार्वजनिक परामर्श	प्रभावित लोगों की चिंताओं का समाधान करता है	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/UT प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UTPCB)
प्रोजेक्ट्स की समीक्षा	अंतिम EIA रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की जाँच	श्रेणी A प्रोजेक्ट्स के लिये EAC और श्रेणी B1 प्रोजेक्ट्स के लिये SEAC
निर्णय लेना	पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रदान करना	श्रेणी A: MoEF&CC श्रेणी B: राज्य EIA प्राधिकरण (SEIAA)
निगरानी (EC के बाद)	सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन	SPCB / UTPCB और क्षेत्रीय कार्यालय

EC के लिये सरकारी पहल

- **परिवेश (परिवेश इंटरएक्टिव और सदाचारी पर्यावरण सिंगल विंडो हब द्वारा प्रो-एक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन):** EC के लिये सिंगल विंडो सिस्टम
  - **MoEF&CC और राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC)** द्वारा विकसित।
- **पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS):** पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित जानकारी एकत्र करना, एकत्रण, भंडारण करना, पुनः प्राप्त करना और प्रसारित करना।
- **पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 का मसौदा:** मौजूदा EIA अधिसूचना, 2006 को परिवर्तित करने के लिये MoEF&CC द्वारा प्रकाशित।

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gross-environment-product-index